

.....
.....
.....
.....
.....

Dear

**Notice of Intention to Serve a School Attendance Order under the Education Act 1996
Section 437**

..... **dob:**

I am writing to inform you that unless within the next fifteen (15) days you satisfy this council that your child is receiving efficient full-time education suitable to her age, ability and aptitude and to any special educational needs she may have, it is the intention of this council, as Local Education Authority, to serve you with a School Attendance Order in respect of The school named in the order will be

You are entitled, if you prefer, within the same period of 15 days:

1. To apply forto be given a place at another school maintained by this council **or**
2. To apply for to be given a place at a school maintained by another local education authority, in which case you must also inform this council of your application within those 15 days **or**
3. To apply forto be given a place at a non-maintained (independent) school without asking this council to pay for such place, in which case you must also inform this council of your application within those 15 days.

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

तिथि.....

शिक्षा ऐक्ट (एजुकेशन ऐक्ट) 1996 सेक्शन 437 के अन्तर्गत स्कूल उपस्थिति आदेश (स्कूल अटेडेन्स ऑर्डर) देने के इरादे का नोटिस

..... जन्म तिथि:

मैं आपको यह सूचित करने के लिए यह पत्र लिख रहा/रही हूँ कि यदि आप पन्द्रह (15) दिन के अन्दर इस काउन्सिल को इस बात से संतुष्ट न कर सकें कि आपकी बेटी.....को अपनी आयु, योग्यता व रुझान व यदि उसकी कोई विशेष शिक्षा आवश्यकताएं हों तो उनके अनुसार यथोचित पूरे समय की प्रभावकारी शिक्षा मिल रही है तो इस काउन्सिल का एक स्थानीय शिक्षा प्रशासन (लोकल एजुकेशन अथॉरिटी) के रूप में आपकोके बारे में एक स्कूल उपस्थिति आदेश (स्कूल अटेडेन्स ऑर्डर) देने का इरादा है। आदेश में दिए स्कूल का नाम.....होगा।

यदि आप चाहें तो आपको अधिकार है कि उसी 15 दिन की अवधि के अन्दर:

1. "....."के लिए इसी काउन्सिल द्वारा चलाए जाने वाले किसी अन्य स्कूल में स्थान का आवेदन करें या
2.के लिए किसी अन्य लोकल एजुकेशन अथॉरिटी द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में स्थान के लिए आवेदन करें। उस अवस्था में यह आवश्यक है कि आप इस काउन्सिल को उन 15 दिनों के अन्दर ही अपने आवेदन के बारे में सूचना दें या
3.के लिए बिना किसी काउन्सिल द्वारा चलने वाले (स्वतन्त्र) स्कूल में स्थान के लिए आवेदन करें लेकिन इसके लिए इस काउन्सिल से उस स्थान के लिए भुगतान करने का आग्रह न करें। इस अवस्था में आपको उन 15 दिनों के अन्दर ही इस काउन्सिल को अपने आवेदन के बारे में अवश्य सूचित कर दें।

.....
.....